

प्रेषक,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास  
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:जीओ-134 /सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(एससीएसपी)/11-12 दिनांक: 31 मार्च, 2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-122/26-ब0प्र0-2012-10बजट/2010, दिनांक 30-3-2012 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से रू0 652.36 लाख (रूपया छः करोड़ बावन लाख छत्तीस हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:-

- 1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एससीएसपी हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 2- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- 3- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
- 4- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।
- 5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। आवंटित धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।
- 6- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एससीएसपी मद/टीएसपी योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के0-75/रा0-25-रा0)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

9- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-186 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)


आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: जीओ-134 / सम्प्रेक्षा / आई०ए०वाई (एससीएसपी) / 11-12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 3- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/  
राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 9- संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०शासन को शासनादेश संख्या-122/26-ब०प्र०-2012-10बजट/2010, दिनांक 30-3-2012 क्रम में।

  
(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(लेखा)  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	AGRA	0.00	225.90
2	ALIGARH	0.00	0.00
3	ALLAHABAD	28.97	341.69
4	AMBEDKARNAGAR	0.01	213.35
5	AZAMGARH	0.00	495.66
6	BADAUN	0.00	376.83
7	BAGPAT	0.00	1.49
8	BAHRAICH	0.00	801.43
9	BALLIA	7.35	743.10
10	BALRAMPUR	0.18	347.84
11	BANDA	0.00	59.42
12	BARABANKI	0.00	628.45
13	BAREILLY	0.00	267.06
14	BASTI	0.00	384.52
15	BIJNOR	0.00	350.68
16	BULANDSHAHR	0.48	232.63
17	CHANDAULI	0.00	158.24
18	CHITRAKUT	0.00	53.09
19	C.S.M Nagar	0.00	0.00
20	DEORIA	59.68	703.18
21	ETAH	0.00	139.69
22	ETAWAH	0.00	171.44
23	FAIZABAD	0.00	253.59
24	FARRUKHABAD	0.00	194.15
25	FATEHPUR	0.00	302.35
26	FIROZABAD	0.00	0.00
27	G.B. NAGAR*	0.00	16.88
28	GHAZIABAD	0.00	0.00
29	GHAZIPUR	0.00	336.92
30	GONDA	0.00	719.90
31	GORAKHPUR	0.00	646.09
32	HAMIRPUR	0.00	63.42
33	HARDOI	0.00	489.47
34	HATHRAS	0.00	0.00
35	Jyotiba Fule NAGAR	0.00	104.63
36	JALAUN	0.00	108.39
37	JAUNPUR	0.00	645.99
38	JHANSI	0.00	87.37
39	KANNAUJ	0.00	144.24



इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
40	KANPUR DEHAT	0.00	230.48
41	KANPUR NAGAR	0.00	239.06
42	KANSHIRAM NAGAR	0.00	107.89
43	KAUSHAMBHI	0.00	188.72
44	KHERI	0.00	1270.37
45	KUSHINAGAR	548.60	2310.32
46	LALITPUR	0.00	82.03
47	LUCKNOW	0.00	265.48
48	MAHOBA	0.00	56.24
49	MAHRAJGANJ	0.00	607.93
50	MAINPURI*	0.00	154.13
51	MATHURA	0.00	123.73
52	MAU	0.00	188.15
53	MEERUT	0.00	0.00
54	MIRZAPUR	0.00	226.05
55	MORADABAD	0.00	353.38
56	MUZAFARNAGAR	0.00	168.75
57	ORRAIYA	0.29	167.69
58	PILIBHIT	0.00	368.44
59	PRATAPGARH	0.00	346.20
60	RAE BARELI	0.00	440.90
61	RAMPUR	0.00	205.26
62	S. R. NAGAR	0.00	137.59
63	S.K.NAGAR	1.12	244.08
64	SAHARANPUR	0.00	338.70
65	SHAHJAHANPUR	0.00	413.29
66	SHRAWASTI	0.01	288.08
67	SIDHARTHANAGAR	5.67	252.33
68	SITAPUR	0.00	869.63
69	SONBHADRA	0.00	169.67
70	SULTANPUR	0.00	388.88
71	UNNAO	0.00	481.69
72	VARANASI	0.00	192.34
	STATE TOTAL	652.36	22686.56

(रु० छः करोड़ बावन लाख छत्तीस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(लेखा),  
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2012


विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी.ओ.-126/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2011-12, दि0 13.3.2012 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-308/26-ब0प्र0-2011-10 बजट/2010, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 तथा शासनादेश संख्या-614/26-ब0प्र0-2011-10 बजट/2010, दिनांक 07 जुलाई, 2011 एवं शासनादेश संख्या-891/26-ब0प्र0-2011-10 बजट/2010, दिनांक-22 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या-32/26-ब0प्र0-2011-10 बजट/2010, दिनांक 10 फरवरी, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से रू0- 652.36 लाख (रू0 छः करोड़ बावन लाख छत्तीस हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जमजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्ही भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये । उतनी ही धनराशि आहरित की जाय, जितनी 31 मार्च, 2012 तक व्यय हो सके।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।

- 7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।
- 8- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जावेगा ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जावेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-130(1)/दस-2012, दिनांक 27 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।


भवदीय,  
  
(बी0बी0 सिंह)  
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 122(1)/26-ब0प्र0-2012-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा0स0 कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 8- समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/राज्य योजना आयोग-2
- 10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन0आई0सी0 की प्रति ।
- 11- गार्डफाइल/कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

  
(बी0बी0 सिंह)  
संयुक्त सचिव ।